

तारीख
हुकम

31/05

पहावली पेश दुई। वकील साथीगण
उप० बक्स साथीगण पर मनन किया
गया। पहावली का भवतोकन किया
गया। प्रा० पर धारा 128 स्वीकार
योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर
शामिल पहावली किया गया। पहावली
कैसल सुमार होकर बाफ तकमील
दाखिल दफ्तर है।

31/5
न बख्श
वकील (दोता)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा
पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
मुकदमा संख्या-64/2025

1. प्रहलाद कुमार पुत्र घंटोली राम जाति बैरवा निवासी बदनपुरा, खेडापहाड़पुर तहसील बांदीकुई जिला दौसा (राज.)।
2. श्याम लाल पुत्र सुरजनलाल जाति बैरवा निवासी बाढबगीची तहसील बांदीकुई जिला दौसा
-: प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा
-: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज.लैण्ड.रे.एक्ट

निर्णय दिनांक -09.07.2025

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री अमरसिंह गुर्जर ने दिनांक 21.05.2025 को पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि काश्त खाता सं. नया 5 पुराना 5 के खसरा नं. 696/132 रकबा 0.25 हैक्टेयर एवं खाता सं. 127 नया व पुराना 118 के खसरा नं. 130 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नं. 131 रकबा 0.37 हैक्टे. वाके ग्राम बाढ बगीची तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है तथा काबिज होकर काश्त करते चला आ रहे है। प्रार्थीगण के पडौसी खातेदारों के मध्य किसी प्रकार का कोई सीमा विवाद न हो तथा प्रार्थीगण की खाम डौल धीरे धीरे बिस्मार हो रही है। जिसकी बाबत सीमाज्ञान कराने हेतु तहसीलदार बांदीकुई के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार बांदीकुई के आदेशानुसार दिनांक 14.05.2025 को प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान कर मौका पर्चा बनाया।

प्रार्थीगण की भूमि काश्त खाता सं. नया 5 पुराना 5 के खसरा नं. 696/132 रकबा 0.25 हैक्टेयर एवं खाता सं. 127 नया व पुराना 118 के खसरा नं. 130 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नं. 131 रकबा 0.37 हैक्टे. वाके ग्राम बाढ बगीची तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है, का दिनांक 14.05.2025 को सीमाज्ञान करवाया तथा सीमाज्ञान के बाद प्रार्थीगण के पडौसी खातेदारान ने सीमा को सही होना बताया किन्तु प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार भविष्य में कोई विवाद पैदा न करे तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि के चारो ओर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल करना चाहता है जिसमें भविष्य में किसी प्रकार का विवाद सीमा को लेकर न हो, इसलिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की मुताबिक सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी करवाया जाना जरूरी है, जिससे भविष्य में सीमा विवाद नहीं हो सकें।

अथ

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि काश्त खाता सं. नया 5 पुराना 5 के खसरा नं. 696/132 रकबा 0.25 हैक्टेयर एवं खाता सं. 127 नया व पुराना 118 के खसरा नं. 130 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नं. 131 रकबा 0.37 हैक्टे, वाके ग्राम बाढ बगीची तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है, का तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा को पत्थरगढी मुताबिक नक्शा मौका करवाये जाने बाबत् तहसीलदार बांदीकुई को आदेश प्रदान फरमायें जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलवी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस करवाई गई। तहसलदार बांदीकुई के पत्र क्रमांक-भू0अ0/2025/2321 दिनांक 26.05.2025 के द्वारा प्राप्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बाढ बगीची के खाता संख्या 5 के ख0 नं0 696/132 रकबा 0.25 हैक्टेयर खातेदार प्रहलाद कुमार पुत्र घंटोलीराम हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा सा0 बदनपुरा, खेडापहाडपुर तहसील सिकराय खातेदार है एवं खाता सं. 127 नया व पुराना 118 के खसरा नं. 130 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नं. 131 रकबा 0.37 हैक्टे. खातेदार श्यामलाल पुत्र सुरजनलाल हि0 पूर्ण जाति बैरवा सा0 नारायणपुरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त ख0 नं0 696/132, 130, 131 मौके पर खाली होना बताया गया है। प्रकरण में प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात खाता संख्या नया 5 के खसरा नम्बर 696/132 एवं खाता संख्या नया 127 के ख0 नं0 130, 131 की सीमाओं का सीमाज्ञान हो जाने के उपरान्त मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाने को निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में पत्थरगढी करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। अतः तहसीलदार बांदीकुई प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि खाता सं. नया 5 पुराना 5 के खसरा नं. 696/132 रकबा 0.25 हैक्टेयर एवं खाता सं. 127 नया व पुराना 118 के खसरा नं. 130 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नं. 131 रकबा 0.37 हैक्टे. वाके ग्राम बाढ बगीची तहसील बांदीकुई की सीमाओं का सीमाज्ञान दिनांक 14.05.2025 के अनुसार पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

24/7-09.7.25
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई